इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद की विभिन्न योजनाओं में निविदा सह नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक भूखण्ड/दुकान/आवासीय प्राप्त करने का

आवेदन/पंजीकरण तिथि :
29.08.2018 से 15.09.2018 तक

स्वर्णिम अवसर

नीलामी की तिथि
20.09.2018 को दोपहर 12:30 बजे

नीलामी स्थल-8वां तल इन्दिरा भवन स्थित कमेटी कक्ष, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

त्रिवेणीपुरम् आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सह आवासीय भूखण्डों का विवरण-

क्र. स.	योजना का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	त्रिवेणीपुरम आवास योजना, झूंसी	364.50	GA-4B, YIIA-07, YIIA-08, YIIA-09	04	45,000/-	16640250.00	1664025.00

कालिन्दीपुरम् आवास योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सह आवासीय भूखण्डों का विवरण-

क्र. स.	योजना का नाम	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर राधाकुण्ड)	ए	112.50	13 से 16, 19, 24 25, 27 से 33 तक।	15	46,500/-	52,31,250/-	5,23,125/-
		बी	75	42, 44 से 51, 61 से 63 तक	13	45,000/-	34,87,500/-	3,48,750/-
2.	कालिन्दीपुरम् आ.यो. (सेक्टर गोकुल)	सी	86.20	42 से 53	12	46,500/-	40,08,300/-	4,00,830/-
		डी	75.00	02 से 23 एवं 25	23	45,000/-	33,75,000/-	3,37,500/-

नैनी आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भूखण्ड सं.	कुल भूखण्डों की सं.	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रु.)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	नैनी आवास योजना	100.43 से 166.71 तक	CD1 To CD9	09	56,000.00	56,24,080.00 से 93,35,760.00तक	5,62,410.00 से 3,37,500.00 तक
2.	आवासीय	58.30	LC-150A	01	18,000.00	10,49,400.00	1,05,000.00

खुल्दाबाद आवास योजना के अन्तर्गत दुकान का विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी.)	दुकान सं.	कुल दुकानों की सं.	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु.)	पंजीकरण धनराशि (रु.)
1.	खुल्दाबाद आवास योजना	21	26	01	23,65,100/-	2,36,510.00

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा सह नीलामीदाता को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय) फार्म के साथ संलग्न पंजीकरण अवधि के
अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। 2. निविदा आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों के साथ बन्द लिफाफे में भरकर सचिव, इलाहाबाद विकास
प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथियों पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक डाले जा सकते हैं, जिसको निविदा/नीलामी के
निर्धारित तिथि पर नीलामी के उपरान्त खोला जायेगा। 3. भूखण्ड/दुकान आवंटन हेतु पंजीकृत उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य की 25
प्रतिशत धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित हो जायेगी। 4
बोली में सफल व्यक्ति द्वारा बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में चौथाई का अवशेष धनराशि न जमा करने पर पंजीकरण शुल्क की धनराशि जब्त कर ली जायेगी
5. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर ब्याज सहित 4 समान त्रैमासिक किस्तों में जमा करना होगा। त्रैमासिक किस्तों
विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब ब्याज उक्त के अतिरिक्त देय होगा। उक्त नियत समयावधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर पूर्व से जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त
करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। 6. मौके पर भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तद्नुसार ही अन्तर धनराशि संशोधित की जायेगी। 7. आवंटी को
भूमि मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा। विक्रय-विलेख की समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान
एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा। 8. सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा हो
पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा। आवंटित भूखण्ड का विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराक
ही करना होगा। 9. समस्त सम्पत्ति 'जहाँ है जैसे है' के आधार पर आवंटित की जा रही है जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जायेगा। आवंट
हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण कर संस्तुष्टि कर लें। 10. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण इलाहाबाद जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार
होगा। 11. भूखण्डों की बोली प्रति वर्गमीटर न्यूनतम् आरक्षित दर के आधार पर की जायेगी और त्रिवेणीपुरम् के भूखण्डों का प्रत्येक बोली का न्यूनतम् अन्तर रु० 10
तथा शेष योजनाओं का रु. 500 एवं खुल्दाबाद के दुकान की सम्पूर्ण मूल्य का 10,000.00 प्रति बोली होगी। 12. नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने व
पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में निहित है। 13. खुल्दाबाद आवास योजना में स्थित दुकान संख्या-26 में मात्र निर्मित दुकान व
आवंटन तथा विक्रय किया जायेगा दुकान के सामने स्थित बरामदा कामन एरिया है जिसका न तो आवंटन किया जायेगा और न ही विक्रय किया जायेगा। 1
प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा। 15. शेष नियम व शर्तें आवेदन प्राधिकरण की वेबसाइ
www.adaallahabad.in पर भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)-उपाध्यक्ष

(गंगा राम गुप्ता)-सचिव

पत्रांक - 186/ज.स.अ./वि./प्रा./2018-19 दिनांक : 28.08.2018